कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री अनन्त कौशिक एण्ड कम्पनी, 302 / 16, कालिस धाम, सेक्टर-50, नोएडा।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**079 / 11, 05.09.2011**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री अनन्त कौशिक एण्ड कम्पनी, 302 / 16, कालिस धाम, सेक्टर-50, नोएडा द्वारा दिनांक 05.09.2011 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' Sand Stone तथा Slate '' पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 26.02.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पत्र संख्या-949, दिनांक 30.11.2011 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि सैण्ड स्टोन एवं स्लेट एक अवर्गीकृत वस्तु है। अत: इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% की दर से करदेयता होगी। पुन: आख्या प्राप्त किये जाने पर डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-12, नोएडा द्वारा अपने पत्र संख्या-906, दिनांक 19.03.2014 से अवगत कराया गया है कि सर्वश्री अनन्त कौशिक एण्ड कम्पनी, 302 / 16, कालिस धाम, सेक्टर-50, नोएडा नाम की कोई फर्म विभाग में पंजीकृत नहीं है और न ही उनके द्वारा कोई रिटर्न एवं विवरण-पत्र (रूपपत्र-24) ही दाखिल किया गया है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-12, नोएडा की आख्या के अनुसार प्रश्नकर्ता के नाम से कोई फर्म नहीं है तथा यह वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत भी नहीं है। इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न विभाग में दाखिल नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि प्रश्नकर्ता अपंजीकृत अथवा पंजीकृत रूप से विभाग के अभिलेख पर नहीं हैं। इनके द्वारा कोई व्यापार नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार '' person or dealer concerned '' in U.P.VAT Act ही धारा-59 के अन्तर्गत प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत हैं। अत: प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र '' person or dealer concerned '' की ओर से न होने के कारण ग्राह्य नहीं हैं तथा अस्वीकार किये जाने योग्य है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर व डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-12, नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से

....2

उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर नहीं हैं । अत: '' person or dealer concerned '' in U.P.VAT Act न होने के कारण उनके द्वारा दिया गया धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 28 मार्च, 2014

ह0 / 28.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।